तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तारीख में जारी हो

38/2011

पहले VIS बाबूलाल एट

01/04/2021 पत्रावली भान पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार रानीवाड़ा उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजपत्रोद्धार द्वारा पेश P.O. प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

वादीगण के वाद के संलग्न मौजा करड़ा की जमाबंदी संवत 2066-2069 के खाता संख्या 535 खसरा संख्या 476, 477, 478, 479 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर दर्ज है। उक्त आराजी की खातेदारी हरीराम, लालाराम, भागीरथ, संग्रामराम पि० जामता 1/3 रूपा वल्द बेना 1/3 कालचन्द नेजाराम, रतनाराम, किशनाराम, लाडूराम, तुलछाराम पि० फगलू, मु० हीरा बेवा फगलू 1/3 कौम बिस्नोई सा० देह खातेदार दर्ज है। रूमा वल्द बेना का PNB बैंक शाखा करड़ा में मुर्तहीन रहन दर्ज है। तथा उक्त आराजी पर नामान्तरकरण संख्या 1185 दिनांक 20-4-2011 के अनुसार रूमा पौत्र की बजाय कमला, रामती, धोली पुत्रीयां रूमा बाबूलाल, सुरेश कुमार पि० रामदास, राजेश्वरी पुत्री रामलाल का नाम खाते में दर्ज किया गया है। वादीगण द्वारा कमला, रामती, धोली पुत्रियां रूमा सहखातेदारों को वादपत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। (वादपत्र में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन न होने से वादपत्र ग्राह्य नहीं होता है।

अतः [illegible] के आधार पर वादीगण का वादपत्र आदेश 1 नियम 9

-PTO-

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वादपत्र में आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारीज किया जाता है। वादीगण पृथक से सक्षम न्यायालय मे वाद हेतु स्वतंत्र है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुने इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner